पटना : नदी में वाहन गिरने से नौ की मौत, तीन लापता

पटना/छपरा, 23 अप्रैल (भाषा)।

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में गंगा नदी पर बने पीपा पुल से एक वाहन के शुक्रवार सुबह नदी में गिर जाने से नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता हैं। अधिकारियों ने इस बारे में बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में नौ लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब देने का निर्देश दिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि बचाव और राहत कार्य में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम लगी हुई है।

मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब देने का दिया निर्देश।

सोनपुर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मदद से नौ शवों और वाहन को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में लापता तीन अन्य लोगों की तलाश जारी है। कुमार ने बताया कि वाहन पर सवार लोग शादी समारोह में भाग लेकर अखिपुर से पटना के दानापुर इलाका के चित्रकूट नगर स्थित अपने आवास लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राम कृपाल यादव ने इस हादसे में हुई मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की है।

वांछित व्यक्ति की पुलिस की गोली लगने से मौत

बाड़मेर, 23 अप्रैल (भाषा)।

हिट एंड रन मामले में एक व्यक्ति की पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुई। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जब आरोपी कमलेश प्रजापति ने एक वाहन से पुलिसवालों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। गोली लगने से घायल प्रजापति को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी के सदरथाना इलाके में छिपे होने की सूचना मिली। जब उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो उसने एसयूवी में भागने की कोशिश की और एक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी।

कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में मौत, गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा)।

कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में विषाणु का पता चलने के बाद के छह महीनों में मौत का जोखिम ज्यादा रहता है। इनमें वह लोग भी हो सकते हैं, जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने के बाद भर्ती करने की जरूरत न पड़ी हो। यह जानकारी कोविड-19 के बारे में अब तक के सबसे व्यापक अध्ययन में सामने आई है।

नेचर पत्रिका में गुरुवार को प्रकाशित शोध में अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि यह सामने आया कि आने वाले सालों में दुनिया की आबादी पर इस बीमारी से बड़ा बोझ पड़ने वाला है। अमेरिका में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मेडिसिन के अध्ययनकर्ताओं ने कोविड-19 से संबद्ध विभिन्न बीमारियों की एक सूची भी उपलब्ध कराई है, जिससे महामारी के कारण लंबे समय में होने वाले परेशानियों की एक बड़ी तस्वीर भी उभरती है। उन्होंने पुष्टि की कि शुरू में महज सांस के रोग से जुड़े एक विषाणु के तौर पर सामने आने के बावजूद दीर्घकाल में कोविड-19 शरीर के लगभग हर अंग-तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

अध्ययन

अध्ययन में करीब 87 हजार कोविड-19 मरीज और करीब 50 लाख अन्य मरीजों को शामिल किया गया, जो इससे उबर चुके थे। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर जियाद अल-अली कहते हैं, हमारे अध्ययन में यह सामने आया कि रोग का पता लगने के छह महीने बाद भी कोविड-19 के मामूली मामलों में मौत का जोखिम कम नहीं है और बीमारी की गंभीरता के साथ ही बढ़ता जाता है। अल-अली कहते हैं, चिकित्सकों को उन मरीजों की जांच करते हुए निश्चित रूप से सजग रहना चाहिए जो कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हों। इन मरीजों को एकीकृत, बहुविषयक देखभाल की जरूरत होगी। शोधकर्ताओं ने मरीजों से बातचीत के आधार पर पहली नजर में सामने आए मामलों और लघु अध्ययनों से मिले संकेतों की गणना की जिनमें कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में इसके विभिन्न दुष्प्रभाव सामने आए। उन्होंने कहा कि इन दुष्प्रभावों में सांस की समस्या, अनियमित दिल की धड़कन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और बालों का गिरना शामिल हैं।

निवेश सलाहकार पंजीकरण के समर्पण के लिये सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मै. एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 11/6बी, शान्ति चैम्बर्स, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005, दिल्ली-110005 में है तथा निवेश सलाहकार का सेबी पंजीकरण सं. INA100012491 है जो 13 फरवरी, 2019 को जारी की गई थी, ने निवेश सलाहकार पंजीकरण को समर्पित करने के लिये आवेदन किया है।

अतएव, निवेशकों तथा आम जनता को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त निवेश सलाहकार के साथ व्यवसाय न करें। किसी भी क्लाइन्ट/व्यक्ति का एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज के माध्यम से प्रतिभूतियों में उनके कारोबार के कारण निवेश सलाहकार के विरुद्ध कोई दावा हो तो लिखित में अपने दावे निदेशक, एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड के पास उसके ऊपर वर्णित पते पर इस सूचना के प्रकाशन से 6 माह के भीतर सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।

एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(सुमन कुमार)
ई.वी.पी. (कॉर्पोरेट कार्य) एवं कम्पनी सचिव
तिथि: 8 अप्रैल, 2021
स्थानः नई दिल्ली
कॉर्पोरेट पहचान संख्या
(CIN: L74899DL1994PLC063609)
पंजीकृत कार्यालय: 11/6बी, शान्ति चैम्बर, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005
Ph: +91-11-30111000, 40753333
Fax: +91-11-25754365
E-mail: smc@smcindiaonline.com
Website: www.smcindiaonline.com
smc Moneywise. Be wise.
CIN: L74899DL1994PLC063609

द करुर वैस्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली-110005

सदर्भः 1) श्री विनय गुप्ता, पुत्र स्व. शिव शंकर गुप्ता, ए-325, भूतल, सेक्टर-31, नोएडा-201301 तथा 2) श्रीमती शैफाली गुप्ता, पत्नी श्री विनय गुप्ता, ए-325, भूतल, सेक्टर-31, नोएडा-201301 को भेजी गई श्री विनय गुप्ता की ऋण खाता में बकाये की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना।

जैसा कि आपने प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक को ऊपर वर्णित ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है (खाता 23.3.2021 को एनपीए बन चुकी है), बैंक ने 8.04.2021 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 76,28,533.26 (रुपये छियत्तर लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ तैंतीस एवं पैसे छब्बीस मात्र) की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया था। सूचना की एक प्रति ए-325, भूतल, सेक्टर-31, नोएडा-201301, 22, ब्लॉक एफ, सेक्टर 39, नोएडा-201303 में परिसर में चिपकाई गई है।

जैसा कि आप को पंजीकृत डाक से भेजी गई सूचना अनसर्व्ड वापस लौट आई। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि ऋण की देयताओं, बैंक के पास प्रभारित प्रतिभूतियों का सम्पूर्ण विवरण नोट करने के लिये अपने स्वयं के हित में बैंक में जाकर सूचना की प्रति प्राप्त करें।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित रूप में बैंक के पास हाइपोथेकेटेड/गिरवी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

1. फ्लैट नं. 701, 7वाँ तल, टावर बी-1, पैलेस हाइट्स, प्लॉट नं. जीएच 02बी, सेक्टर-1, गौतम बुध नगर, नोएडा
2. आवासीय फ्लैट नं. 10094, 10वां तल, टावर नं. 6, महागुण टाउन, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 7, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद
3. आवासीय फ्लैट नं. 10101, 10वां तल, टावर नं. 6, महागुण टाउन, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 7, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद
4. आवासीय सम्पत्ति सं. पी 1003/834/03बी (वर्तमान सं. 79), प्रताप कॉलोनी, भिवानी, हरियाणा
5. आवासीय फ्लैट नं. बी-201, 2रा तल, आविष्कार कॉम्प्लैक्स (राजस्व सर्वे नं. 732/1, टी.पी. नं. 6, फाइनल प्लॉट नं. 179, प्लॉट नं. 2-ए तथा 2-बी, ग्राम मौजे आनंद में अवस्थित), बिग बाजार के सामने, आनंद, गुजरात
6. आवासीय फ्लैट नं. सी-2/डी-6, जीएच-01/बी, टावर सी-2, छठा तल, शुभकामना एडवर्ट टेक होम्स, सेक्टर 137, गौतम बुध नगर

तिथि: 23.4.2021
स्थानः दिल्ली

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लि.

ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड
प्लॉट नं. 94, मरोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059

(वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना)

निम्नलिखित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों ने ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड से नीचे वर्णित प्रतिभूति ऋण प्राप्त किया था। नीचे वर्णित ऋणधारकों के ऋणों को उनकी संबंधित सम्पत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि, वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहे तथा जो अनियमित हो गया है, अतः भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी ऋणों को एनपीए घोषित किया गया है। जारी की गई संबंधित सूचनाओं के अनुसार ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा देय राशि नीचे वर्णित है जिसका विशेष रूप से विवरण नीचे तालिका में दिया गया है तथा उक्त राशि पर लागू होने वाले ब्याज भी देय होगा जिसकी वसूली उसकी संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर के अनुसार की जायेगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	ऋणधारकों का नाम	ऋण का प्रकार	13(2) सूचना के अनुसार बकाया	सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	LN0000000014443 LN0000000014669	1. आशीष कुमार 2. राज कुमारी 3. प्रीति चौधरी	एसएमई सिक्योर्ड ऋण	रु. 5787293.62	22 अप्रैल, 21	सूर्य विहार गाँव, गुड़गाँव, तहसील एवं जिला गुड़गाँव, हरियाणा-122001 में स्थित मकान सं. सी-45/1, खसरा नं. 1460/6496/669/45/1
2.	LN0000000013966	1. अंकुश गुप्ता 2. शिल्पी गुप्ता	एसएमई सिक्योर्ड ऋण	रु. 10109678.35	22 अप्रैल, 21	ग्राम शेखवारा, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 में वार्ड नं. 7 के क्षेत्र में स्थित प्लॉट नं. 4 एवं प्लॉट नं. 34
3.	LN0000000013961	1. युवराजा सिद्धार्थ सिंह 2. गौरी अवरसेकर	एसएमई सिक्योर्ड ऋण	रु. 12452785.91/-	22 अप्रैल, 21	ग्राम सरहौल, तहसील एवं जिला गुड़गाँव, हरियाणा-122002 में डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लैक्स के नाम से पूर्व में विदित आवासीय कालोनी, डीएलएफ सिटी फेज-II के नाम की आवासीय कॉलोनी में स्थित मकान सं. 6, रोड के-13 पर जिसमें भूतल, प्रथम तल तथा दूसरा तल शामिल है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित तिथि से उस पर आगे के अनुबंधित दर पर ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं लागतों आदि के साथ ऊपर तालिका में दर्शाई गई विवरणों के अनुसार ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड की बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के बकाये राशि की वसूली के लिये ऊपर वर्णित गिरवी सम्पत्तियों के प्रति सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिये बाध्य होंगे। पुनः आपको बिक्री/पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति के अंतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत वंचित किया जाता है।

हस्ता/-
तिथि : 24.4.2021 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गुड़गाँव/ फरीदाबाद (हरियाणा) **ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड**

मप्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा

इंदौर, 23 अप्रैल (भाषा)।

मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की जल्द से जल्द आपूर्ति के लिए शुक्रवार से भारतीय वायु सेना ने मोर्चा संभाल लिया। इस जीवनरक्षक गैस की कमी से महामारी के मरीज और उनके परिजन पिछले कई दिन से परेशान हो रहे हैं।

शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया कि वायुसेना के बड़े मालवाहक और परिवहन विमानों में शुमार 'सी-17' के जरिये मेडिकल ऑक्सीजन के एक खाली टैंकर को इंदौर से गुजरात के जामनगर भेजा गया। उन्होंने बताया कि खाली टैंकर के पिछले हिस्से के बार-बार फंसने के कारण इस वाहन को वायुसेना के विमान में चढ़ाने में बड़ी देर तक रुकावट आई, बाद में इंजीनियरों ने टैंकर के लोहे के मडगार्ड को काट कर अलग कर दिया, जिसके बाद टैंकर को विमान के भीतर पहुंचाया जा सका।

शहर में मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे प्रशासनिक अफसर रोहन सक्सेना ने बताया कि हमने मेडिकल ऑक्सीजन के 30 टन क्षमता के खाली टैंकर को वायुसेना के जहाज से जामनगर भेजा।

कोरोना प्रबंध व्यवस्था की जानकारी ली

जयपुर, 23 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर चर्चा की और राज्य में कोरोना नियंत्रण एवं बचाव के लिए किए जा रहे उपायों तथा प्रबंध व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद मिश्र ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केन्द्रीय कैबिनेट सचिव, गृह सचिव आदि से भी राज्य के हालात पर विशेष रूप से चर्चा की।

केन फिन होम्स लिमिटेड
Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK) HOME LOANS • DEPOSITS Translating Dreams into Reality
1652/57/1, प्रथम तल, उज्जीवन लघु वित्त बैंक के ऊपर, सर्कुलर रोड, रेवाड़ी -123401, फोन नंबर 01274-258206
ईमेल: rewari@canfinhomes.com मो. नं. : 7625079233
CIN: L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना नियम 8(1) (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 18.09.2020 को जारी की थी जिसमें कर्जदार श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री जनार्दन एवं श्रीमति जगवन्ती पत्नी श्री नवीन कुमार से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रू. 2,42,847/- (रूपये दो लाख बयालिस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) 18.09.2020 तक उस पर आगे ब्याज, व्यय तथा अन्य प्रभारो के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार/गण, गारंटर/गण उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों, गारंटर/रों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 19 अप्रैल 2020 को प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, शाखा रिवाड़ी की बकाया राशि राशि रू. 2,42,847/- (रूपये दो लाख बयालिस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) 18.09.2020 तक ब्याज के साथ, तथा उस पर आगे ब्याज, खर्चों तथा अन्य प्रभारों के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भू-भाग खेवत नं. 455, खाता नं. 575, मुस्टिल नं. 238, किला नं. 24/2 (0-19), मुस्टिल नं. 239, किला नं. 10(7-6), खेवत नं. 888 मिन, खाता नं. 983 मिन, मुस्टिल नं./किला नं. 239/11/2(5-4), 19(3-16), 239/21/2 (6-1), खेवत नं. 1218 मिन, खाता नं. 1504 मिन, मुस्टिल नं. 239/12(8-0), खेवत नं. 300 मिन, किला कालोनी, झज्जर, हरियाणा-124507 श्रीमति सुलोचना पत्नी श्री जनार्दन एवं श्रीमति जगवन्ती पत्नी श्री नवीन कुमार के स्वामित्व में
चौहद्दी : पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : खाली प्लॉट, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क 15 फीट चौड़ी

हस्ता./-
तिथि : 24.04.2021 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : रिवाड़ी केन फिन होम्स लिमिटेड

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट-IV-A नियम 8(6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना

आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)** के नाम से ज्ञात जो कि आगे **AUSFB** सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को **"जैसे है जहां है" एवं जो भी है जैसा भी है** के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्त्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि व समय	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
ऋण खाता सं.: LSDEL02715-160366199 (L9001060100601402) **दिनेश कुमार पुत्र श्री माता प्रसाद (ऋणी एवं बंधककर्ता),** श्रीमती भारती पत्नी दिनेश कुमार (सह-ऋणी), बृज मोहन पुत्र श्री माता प्रसाद (सह-ऋणी)	12 अक्टूबर 17 ₹918316/- रुपये नौ लाख अठाहर हजार तीन सौ सोलह मात्र 9 अक्टूबर 2017 तक	27 फरवरी 2021	खसरा नं. 1123, प्लॉट नं. 15, चमन विहार कॉलोनी, गांव लोनी, परगाना, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 50 वर्ग गज**	₹ 950000/- रुपये नौ लाख पच्चास हजार मात्र	₹ 48000/- रुपये अडतालीस हजार मात्र	27 मई 2021 समय अपराह्न 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	25 मई 2021 तक या इससे पहले समय प्रातः 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय:- 801 से 804, रूट्स टॉवर, 8वां फ्लोर, जिला सेन्टर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092	भानु प्रताप सिंह 9358002663 ई-मेल आई.डी. auctions@aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 25 मई 2021
ऋण खाता सं.: LSDWM02716-170547514 (L9001060100743323) **प्रेम चन्द पुत्र श्री लाहोरी राम (ऋणी),** लाहोरी राम पुत्र श्री मेघा राम (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती प्रेमा पत्नी श्री प्रेम चन्द (सह-ऋणी), धीरज पुत्र श्री प्रेम चन्द (सह-ऋणी)	25 अक्टूबर 19 ₹1973507/- रुपये उन्नीस लाख तैहतर हजार पांच सौ सात मात्र 17 अक्टूबर 19 तक	06 अप्रैल 2021	मकान नं. 16/472-I, ग्राउण्ड फ्लोर, आगे का भाग, मिलेट्री रोड, बापा नगर, करोल बाग, न्यू दिल्ली, **क्षेत्रफल 675 वर्ग फीट**	₹ 2915000/- रुपये उन्तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र	₹ 146000/- रुपये एक लाख छियालीस हजार मात्र	27 मई 2021 समय अपराह्न 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	25 मई 2021 तक या इससे पहले समय प्रातः 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय:- प्लॉट नं. 24, प्रथम तल एवं दूसरा तल, रिंग रोड, फेज-4, लाजपत नगर, नई दिल्ली -110024	भानु प्रताप सिंह 9358002663 ई-मेल आई.डी. auctions@aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 25 मई 2021

ई-निलामी बिक्री के नियम और शर्तें:-
(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा "जैसा है, जहां है, "जैसा है वैसा, "जो कुछ भी है और" नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई-निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, **जो आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED** पांचवी एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नं. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, **IFSC कोड : AUBL0002011** में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी **auctions@aubank.in** पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ **आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं.** भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए **वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction** अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए **श्री भानू प्रताप सिंह से संपर्क करें: 9358002663 और ई-मेल auctions@aubank.in**
नोट:- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।
स्थानः गाजियाबाद व दिल्ली **दिनांकः 23-अप्रैल-2021** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड**

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051
शाखा कार्यालय : 7वीं मंजिल, प्लाट सं. 7, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

आप नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों), जो नीचे अधिक स्पष्ट वर्णित हैं, को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण सुविधा प्राप्त की हैं तथा उसके भुगतान में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा नीचे वर्णित खाते एसाइनमेंट प्रलेख के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक के पक्ष में आवंटित कर दिये गये जिसके तहत इसके पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूतियों के परिप्रेक्ष्य में सभी अधिकार, टाइटल्स, हित, वसूल किया जाने वाला बकाया बैंक को सौंप दिया गया है। उक्त एसाइन्मेन्ट के अनुसार तथा बकाये राशि की वसूली के लिये बैंक ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (अधिनियम), 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसके विषय वस्तु को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार तथा आपके लिए वैकल्पिक सेवा के द्वारा यहां नीचे प्रकाशित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. कर्जदाता का नाम, 2. आवंटन की तिथि, 3. माँग सूचना की तिथि, 4. बकाया राशि रु. में
1	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. श्री बाबूराम जिन्दल, निवासी : म.नं. 146, ग्राम सूरजपुर, सुनारो वाली गली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306, साथ ही : खसरा नं. 480, ग्राम हबीबपुर, परगना दादरी, तहसील जिला गौतम बुद्ध नगर। ऋण खाता संख्या : LNDEL00616-170000689 स्वीकृत ऋण राशि : रु. 23,33,589/- (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ नवासी मात्र)।	अचल सम्पत्ति के सम्पूर्ण भाग की माप 250 वर्ग गज, खसरा नं. 480, ग्राम हबीबपुर, परगना दादरी, तहसील-जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित। सम्पत्ति की सीमाएं निम्नलिखित हैं : उत्तर : विन्दो का प्लॉट, पूर्व : श्यामी का प्लॉट, दक्षिण : सुनीता की सम्पत्ति, पश्चिम : प्रवेश। बंधककर्ता का नाम : स्व. श्री बाबूराम जिन्दल (मृतक)	1. ईसेल फाइनेंस बिजिनेस लोन्स लिमिटेड (ईसेल)। 2. 18.02.2020 3. 14.12.2020 4. 14.12.2020 तक बकाया रु. 15,14,201/- (रुपये पन्द्रह लाख चौदह हजार दो सौ एक मात्र) तथा पूर्ण भुगतान तक 15.12.2020 से ब्याज
2	श्रीमती बीरवती उर्फ वीरवती पत्नी स्व. श्री रामाबीर सिंह उर्फ रामबीर सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामाबीर सिंह उर्फ रामबीर सिंह, दोनों निवासी : म.नं. 47, खसरा नं. 241, जलपुरा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर